13/07/2021 B.A Hons Part I Paper II

Page No.: 1
Date: / /

Q. मुस्लिम (Muslim) विवाह की क्या-क्या शर्तें होती हैं?

Ans. हिन्दू विवाह एक पवित्र, धार्मिक संस्कार या कृत्य है। इसके विपरीत मुस्लिम विवाह धार्मिक और पवित्र संस्कार के बदले एक समझौता है, जिसके लिए कुछ शर्तें होती हैं इन शर्तों को पूरा करने पर ही उनका विवाह सही माना जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मुस्लिम विवाह का धार्मिक महत्व नहीं होता जितना कि हिन्दू विवाह में पाया जाता है।

डॉ० मुल्ला के अनुसार, "विवाह या निकाह एक सिविल समझौता है जिसका उद्देश्य बच्चे पैदा करना तथा उनको वैध घोषित करना है।"

सर - रोलैंड ने लिखा है कि विवाह एक समझौता है जिसका उद्देश्य लैंगिक सहवास और बच्चों के प्रजनन को कानूनी रूप देना है।" (Marriage is a contract for the purpose of legalising sexual intercourse and the procreation of children)

हेदया (Hedaya) के मतानुसार, मुस्लिम विवाह एक समझौता है जिसका उद्देश्य लैंगिक सहवास और बच्चों के प्रजनन को कानूनी रूप देना तथा संतानों को वैध करना है और पति - पत्नी से उत्पन्न सन्तानों के योग्य समाज के हित में अधिकारों एवं कर्तव्यों की स्वीकृति के करके सामाजिक जीवन बिताना है।

भारतीय कानून में भी लिखा है कि "विवाह दो विपरीत लिंगी व्यक्तियों में किया गया बिना शर्त का समझौता है जो सम्भोग, प्रजनन तथा उत्पन्न सन्तानों को वैध करने के उद्देश्य से किया जाता है।"

उपर्युक्त परिभाषाओं के अनुसार मुस्लिम विवाह दो पक्ष भागीदारों का नागरिक समझौता है। इसमें लड़के की ओर से लड़की वालों के यहाँ विवाह का प्रस्ताव रखा जाता है। प्रस्ताव मंजूर होने पर लड़की के बदले मेहर (वधु मूल्य) देते हैं। इससे लड़की लड़के के अधीन हो जाती है।

मुस्लिम विवाह की शर्तें (Conditions for Muslim Marriage):-

मुस्लिम विवाह में निम्नलिखित शर्तों का होना आवश्यक है-

(1) विवाह का प्रस्ताव लड़के के तरफ से होना चाहिए।

(2) विवाह के समय समझौता करने के लिए लड़के व लड़की की उम्र 15 वर्ष की होनी चाहिए।

(3) लड़के वालों का प्रस्ताव और लड़की वालों की स्वीकृति दोनों एक साथ एक समय में होनी चाहिए।

(4) शादी के प्रस्ताव और स्वीकृति के समय लड़के और लड़की वालों की तरफ से दो गवाहों का होना जरूरी है। इन गवाहों के न होने पर विवाह अवैध हो जाता है।

5. मूर्ति पूजकों से विवाह पूर्ण रूप से निषिद्ध है।

(6) एक मुस्लिम युवक एक साथ चार स्त्रियों से विवाह कर सकता है, लेकिन स्त्री एक वक्त सिर्फ एक ही पुरुष से विवाह कर सकती है।

(7) ऐसी शादियाँ निकट सम्बन्धियों में हो सकती है। व्यावहार विवाह में दूध का भी बचाव किया जाता है। जैसे माँ दादी नानी सगी भाई-बहन सास, अपनी बहन की लड़की, भतीजी, पुत्र-वधू नातिन आदि से विवाह नहीं हो सकता।

(8) दो सगी बहिनें एक व्यक्ति की पत्नियाँ नहीं बन सकती।

(9) इद्दत में रहने वाली स्त्रियों से विवाह नहीं किया जाता। इद्दत का समय तीन माह तक का होता है।

(10) निकाह (विवाह) के प्रतिफल के रूप में लड़के द्वारा लड़की को मेहर (Dowery) देने का वचन देना आवश्यक है। इसकी अनुपस्थिति में निकाह पूरा नहीं होता और न पति को ही सहवास का अधिकार मिल पाता है। मेहर चार प्रकार के होते हैं जो निम्न है।

(1) निश्चित मेहर (2) सत्वर मेहर
(3) उचित मेहर (4) स्थगित मेहर

Vijay Kumar Mishra
Asst Prof (Guest Faculty)
department of Sociology
Date-13-07-2021